

लोक प्राधिकार की बाध्यताएं
प्रशाखा-9, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

(1)	संस्थाओं के कार्य, कर्तव्य एवं अन्य ब्यौरा।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।
(2)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्ति तथा कर्तव्य।	कृषि निदेशालय, बिहार की शक्ति कृषि निदेशक, बिहार में निहित है। पदाधिकारी तथा कर्मचारी कृषि निदेशक, बिहार के प्रति उत्तरदायी है।
(3)	संस्थान में निर्णय करने संबंधी अधीक्षण और उत्तरदायित्व संबंधी प्रक्रिया।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।
(4)	कार्य करने के लिए सीपित मापदंड।	प्रशाखा-09 से निष्पादित होने वाले कार्यों के हेतु निर्धारित कागजात का विवरण संलग्न है।
(5)	अपने कार्य के निष्पादन के लिए विभाग द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले नियमों, आदेशों अभिलेखों एवं संहिताओं का विवरण।	बीज अधिनियम/ कीटनाशी अधिनियम के अंतर्गत कार्य होता है।
(6)	विभाग के पास उपलब्ध विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की सूची तैयार करना।	वैद्य राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्तिधारी/ कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी की सूची संलग्न।
(7)	निर्णय लेने की प्रक्रिया में सर्वसाधारण जनता से सलाह / मशविरा लेने की कोई व्यवस्था है तो उसका ब्यौरा।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।
(8)	न्यास परिषद, समिति या अन्य कोई व्यवस्था जिसमें दो से अधिक सदस्य हों, उसका उल्लेख। ये बैठकें सर्वसाधारण के लिए खुली है या नहीं, इनका कार्य विवरण जनता की उपलब्ध है या नहीं, उनका पूर्ण विवरण।	कृषि निदेशालय के अंतर्गत प्रत्येक माह के सात तारिख को राज्य स्तरीय बीज अनुज्ञप्तिधारी/ कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी की बैठक निर्धारित की जाती है तथा बैठक की कार्यवाही की प्रति अनुज्ञप्तिधारियों को दी जाती है।
(9)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्ट्री।	1 श्री बिजेन्द्र चौधरी- संयुक्त कृषि निदेशक। 2. श्री संजय कुमार, उप कृषि निदेशक (बीज) 3. श्री विनोद कुमार सिन्हा (प्रभारी) प्रशाखा पदाधिकारी-09 4. श्री राजेन्द्र राम- सहायक (कीटनाशी अपुज्ञप्ति संबंधित कार्य) 5. श्री संजय कुमार- सहायक, बीज अनुज्ञप्ति संबंधित कार्य 6. श्री नरेश पासवान- आदेशपाल
(10)	अपने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक वेतन तथा मुआवजा की कोई व्यवस्था, यदि नियम में हो तो उसका ब्यौरा।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।
(11)	अपने विभिन्न एजेन्सियों के लिए निर्धारित बजट, योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित खर्च और भुगतान की गयी रकम का ब्यौरा।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।

(12)	अनुदान कार्य[मों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं लाभान्वितों की सूची।	प्रशाखा-09 से संबंधित नहीं है।
(13)	विभाग द्वारा दिए गए रियात, परमिट या अधिकार पत्र पानेवालों का विवरण।	राज्यस्तरीय बीज अनुज्ञप्तिधारी / कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी का सूची संलग्न है।
(14)	उक्त सभी सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराना।	विभाग से संबंधित।
(15)	जनता द्वारा सूचना मांगने के लिए उपलब्ध सुविधाओं , इंटरनेट, पुस्तकालय या अन्य व्यवस्था का पूर्ण विवरण।	जनता द्वारा प्रशाखा-09 से संबंधित सूचना मांगने पर उप कृषि निदेशक (सूचना), मिठापुर, पटना के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।
(16)	विभाग के जन सूचना पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण।	श्री आभांशू सी0 जैन, उप कृषि निदेशक (सूचना) कृषि निदेशालय, बिहार पटना।
(17)	सरकार द्वारा प्रावधानित कोई अन्य सूचना या विवरण। इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष अद्यतन करना।	बीज अनुज्ञप्तिधारी / कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारियों की सूची अद्यतन किया जाता है।